

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सं०सं०- प्र०२ वि०१ -४१/२०१५

खाद्य/पटना/दिनांक

प्रेषक,

चंद्रशेखर, भा० प्र० से०  
सरकार के अपर सचिव-सह-निदेशक।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन की पाँच प्रतियाँ एवं सी०डी० इसके साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि कृपया इसका प्रकाशन अतिशिघ्र प्रतिष्ठित हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था की जाए।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव-सह-निदेशक।

खाद्य/पटना/दिनांक

ज्ञापांक:- प्र०२ वि०१ -४१/२०१५

प्रतिलिपि:- निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०- यथोक्त।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव-सह-निदेशक।

खाद्य/पटना/दिनांक

ज्ञापांक:- प्र०२ वि०१-४१/२०१५

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित विज्ञापन को राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के वेबसाईट पर संधारित करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

सरकार के अपर सचिव-सह-निदेशक।

NIC BSU DIARY

No. 1170 Date. 02/11/2017

f.m.a.  
02/11/17  
SAD (Sund)

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के निम्नांकित जिला उपभोक्ता फोरमों में पुरुष एवं महिला सदस्यों के निकट भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है। सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) तक के लिए की जाएगी।


क्रम सं०	महिला सदस्य	पुरुष सदस्य
01	सिवान	भोजपुर
02	मधेपुरा	समस्तीपुर
03	सीतामढ़ी	
04	नालन्दा	

सदस्यों को समेकित मानदेय :- 30000/- रुपये मात्र प्रति माह की दर से देय होगा।

2. पात्रता:-
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण हो।
  - उम्र 31.10.2017 को 35 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक न हो।
  - अर्थशास्त्र/विधि/वाणिज्य/लेखाकर्म/उद्योग/लोककार्य या प्रशासन से संबंधित समस्याओं के निस्तारण का पर्याप्त ज्ञान और कम से कम 10 वर्षों का अनुभव आवश्यक है।
  - सत्यनिष्ठा और अटलताधारी पुरुष/महिला हो।
- परन्तु व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा, यदि :-
- उसे ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है, दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है; या
  - अनन्योचित दिवालिया है; या
  - वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या
  - वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निर्मित निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है; या
  - उसका, राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित है, जो उसके द्वारा सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने के लिए सम्भाव्य; या
  - उसकी ऐसी अन्य अर्हता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।

नोट:-

- आवेदन संबंधित जिला के अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के कार्यालय में सिर्फ निबन्धित डाक के द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर तक प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त या अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार अथवा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि तथा अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- बनावटी तथा जाली प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र पाये जाने पर आवेदक/आवेदिका की पात्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- आवेदक/आवेदिका द्वारा कंडिका-02 में उल्लेखित अनर्ह संबंधित आशय का स्वअभिप्रमाणित घोषणा-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- निर्गत विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा विज्ञापन रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार विभाग को रहेगा।

  
(चन्द्रशेखर, भा० प्र० से०)  
सरकार के अपर सचिव

## आवेदन का प्रपत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि
4. योग्यता
5. स्थायी पता
6. पत्राचार का पता
7. अनुभव
8. दूरभाष/मोबाईल संख्या

Photo

स्थान:-

तिथि:-

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर

### घोषणा

मैं ..... पिता/पति.....  
ग्राम/मोहल्ला.....  
थाना..... जिला..... एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रदत्त सभी सूचनाएँ सत्य, संपूर्ण एवं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं। भविष्य में कोई सूचना असत्य अथवा गलत पाए जाने पर अथवा अभिलेखों के सत्यापन के पूर्व, दौरान अथवा उपरांत अपात्रता संबंधित कोई सूचना प्राप्त होने पर मेरा/मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं नियुक्ति संबंधी मेरे सभी दावों को खारिज माना जाएगा एवम् तदनुसार विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर